



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

14 - अशोक मार्ग, शक्ति भवन, लखनऊ

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

सं० : 1313-पै०एण्डआर०-28/पाकालि/14-60-पी०/98 New T.C-A, दिनांक 19 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेन्शनर्स/पारिवारिक पेन्शनर्स को क्रमशः बढ़ी हुई दरों से पेन्शन दिये जाने के सम्बन्ध में उनकी आयु के निर्धारण में आने वाली कठिनाईयों के सरलीकरण हेतु उ०प्र० शासन द्वारा जारी संशोधित आदेश संख्या-सा-3-1341/दस-2010-308/97 टी०सी० दिनांक 23.08.10 संख्या-सा-3-1469/दस/2010, दिनांक 06.08.2010 तथा आदेश संख्या-सा-3-1523/दस/2011-308/97 टी०सी० दिनांक 14.11.2011 को कारपोरेशन में निम्न संशोधनों के साथ अंगीकृत किया जाता है।

(I) उक्त शासनादेश में प्रयुक्त उद्बोधनों यथा "राज्य सरकार", "सरकारी सेवको" "राज्य कर्मचारियों" राज्य सेवकों तथा सरकारी कर्मिकों आदि को क्रमशः उ०प्र०पा०का०लि०, "कारपोरेशन के सेवक" "कारपोरेशन के कर्मचारियों तथा "कारपोरेशन कर्मिकों" के सन्दर्भ में समझा जायेगा।

(II) शासनादेश में प्रयुक्त "कोषागार" के स्थान पर पेन्शन आहरण एवं वितरण इकाई तथा कोषाधिकारी के स्थान पर "पेन्शन आहरण एवं वितरण अधिकारी" पढ़ा जायेगा।

संलग्नक : यथोपरि।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं० : 1313-पै०एण्डआर०-28/पाकालि/14

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०, उ०प्र०ज०वि०नि०लि०, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि०, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/कैस्को-कानपुर/ट्रांस्को।
4. समस्त निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. अपर सचिव-1/2, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. समस्त मुख्य अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/ट्रांस्को।
7. पुलिस महानिरीक्षक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत)/विधि अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
9. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०/विद्युत वितरण कम्पनी/ट्रांस्को।
10. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
11. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (पेन्शन), लखनऊ को 10 अतिरिक्त प्रतियों सहित।

12. सचिव, पावर सेक्टर इम्पलाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
13. अध्यक्ष, विद्युत पेन्शनर्स परिषद, 103 कीर्ति शिखर अपार्टमेन्ट, छितवापुर भुइयन, 12-आफ स्टेशन रोड, लखनऊ।
14. अध्यक्ष फेडरेशन आफ यू0पी0, पेन्शनर्स एसोसिएशन, 18-बी, सेक्टर-ए, महानगर, लखनऊ।
15. मण्डल कार्यालय, पंजाब नेशनल बैंक 1-2 रघुनाथ नगर, आगरा/156, सिविल लाइन, बरेली/लाला बाबू चौराहा, राजे बाबू रोड, बुलन्दशहर/अल्हादपुर, गोरखपुर/कानपुर रोड, झांसी/पी0एन0बी0 हाउस, बिरहाना रोड, कानपुर/गुरुद्वारा रोड, इलाही काम्पलेक्स, निकट वेब सिनेमा, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ/प्रभात नगर साकेत, मेरठ/पी0एन0बी0 हाउस, राम गंगा बिहार फेस-11, मुरादाबाद/68, कम्बल वाला बाग, मुजफ्फरनगर/एस 20/56डी, द माल, कैनोडी रोड, वाराणसी को कारपोरेशन द्वारा निर्गत विभिन्न पेन्शन पुनरीक्षण आदेशों की एक प्रति के साथ।
16. प्रबन्धक (सी0पी0पी0सी0), सेन्ट्रलाइज्ड पेन्शन प्रोसेसिंग सेन्टर पंजाब नेशनल बैंक हलवासिया मार्केट, लखनऊ।
17. अधिशासी अभियन्ता (वेब0), कक्ष संख्या-407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेब से www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
18. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन के निदेशक मण्डल द्वारा दिनांक 13 जून, 2014 को सम्पन्न बैठक में लिए गये निर्णय संख्या : 105(19)/14 के सन्दर्भ में।
19. कट फाइल।


(जावेद अहमद)
संयुक्त सचिव